प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

28-5-19

वादी एवं वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत को मौखिक रूप से फैसला करवा दिया है एवं वादी अब इस वाद को चलाना नहीं चाहता। अतः वाद को आज की पेशी में लिया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

वादी के निवेदन पर एवं वाद में आगे कार्य वाही नहीं चाहने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश पारेक)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर